

# उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड, देहरादून

निविदा सूचना सं० – 01/अभि0/2018-19

देहरादून, दिनांक : 28.04.2018

## निविदा सूचना

एतद्द्वारा जनपद उधमसिंहनगर स्थित हेमपुर काशीपुर हैचरी, मत्स्य प्रक्षेत्र बौर, मत्स्य प्रक्षेत्र धौरा एवं जनपद देहरादून स्थित मत्स्य प्रक्षेत्र ढकरानी तथा अन्य मत्स्य प्रक्षेत्रों/हैचरी में मत्स्य बीज उत्पादन सत्र वर्ष 2018-19 हेतु राईस पॉलिस, सरसों की खली, महुआ खली, पालीथीन बैग, कन्डीशनिंग हापा आदि विभिन्न सामग्रियों की सम्बन्धित स्थान पर आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 14.05.2018 को अपरान्ह 02:30 बजे मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी) देहरादून में खोली जायेगी। निविदा के अन्य नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र कार्यालय से क्रय कर अथवा विभागीय वेबसाईट [www.fisheriesuk.org](http://www.fisheriesuk.org) से डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

टैण्डर डाउनलोड की तिथि	– 29.04.2018 से 14.05.2018
टैण्डर विक्रय (कार्यालय से)	– 07.05.2018 से 14.05.2018
टैण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि	– 14.05.2018 (अपराहन 01:00 बजे तक)
निविदा खुलने की तिथि व समय	– 14.05.2018 (अपराहन 02:30 बजे)

सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून।

# उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड, देहरादून

—निविदा सूचना संख्या 01/अभि0/2018-19 दिनांक 28.04.2018 की शर्तें व नियम—

1. निविदादाता को विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अधोलिखित शर्तों को भलीभाँति पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर करना होगा, अहस्ताक्षरित निविदा मान्य नहीं होगी एवं सभी शर्तें अनुबंध का अंग मानी जायेगी तथा मान्य होंगी।
2. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है।
3. निविदा केवल वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत आपूर्ति कर्ताओं की ही मान्य होगी।
4. आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति निम्न तालिका में इंगित विवरणानुसार उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के विभिन्न जनपदों में स्थापित प्रक्षेत्रों/हैचरियो/फीड मिल में की जानी प्रस्तावित होगी।

सामग्री का नाम	इकाई	जनपद उधमसिंहनगर			जनपद देहरादून	योग	धरोहर धनराशि (₹ में)
		हेमपुर हैचरी	मत्स्य प्रक्षेत्र धौरा	मत्स्य प्रक्षेत्र बौर	म0प्र0 ढकरानी		
राईस पालिस	कुन्तल	200.00	15.00	10.00	10.00	235.0	₹80,000=00 (₹ अस्सी हजार मात्र)
सरसों की खल	कुन्तल	450.00	115.00	30.00	10.00	605.0	
फिश मिल	कुन्तल	100.0	-	-	-	100.0	
सोया की खल	कुन्तल	100.0	-	-	-	100.0	
मक्के का टुकड़ा	कुन्तल	100.0	-	-	-	100.0	
महुवा की खल	कुन्तल	200.00	50.00	25.00	5.00	280.0	
चूना	कुन्तल	50.00	10.00	10.00	5.00	75.0	
Fish Stimulating हारमोन	शीशी	350	40	40	10	440.0	
क्लीनर	लीटर	20.00	5.00	-	4.00	29.0	
नुवान	लीटर	20.00	5.00	-	-	25.0	
एग्रामीन	कुन्तल	4.00	-	-	0.05	4.05	
सुतली	कुन्तल	1.00	0.20	0.20	-	1.40	
फिल्टर क्लार्थ (60 मैस साईज)	मीटर	250.00	50.00	-	-	300.0	
नाइलान क्लार्थ (120 मैस साईज)	मीटर	100.00	20.00	-	-	120.0	
पालीथीन बैग	संख्या	60000	10000	-	5000	75000	
चट्टी जाल (60 × 6 मी0)	संख्या	01	-	01	-	02	
चट्टी जाल (30 × 6 मी0)	संख्या	-	01	-	-	01	
चट्टी जाल (40 × 6 मी0)	संख्या	-	-	-	02	02	
चट्टी जाल (100 × 6 मी0)	संख्या	01	-	-	-	01	
बूडर जाल (35 × 6 मी0)	संख्या	-	01	-	-	01	
बूडर जाल (50 × 5 मी0)	संख्या	-	-	01	-	01	
फ्राई/फिंगरलिंग नेट (50 × 5 मी0)	संख्या	-	-	01	-	01	
फिंगरलिंग नेट (4 × 2 × 1.5 मी0)	संख्या	-	-	-	04	04	
हैण्डनेट	संख्या	-	-	-	04	04	
कन्डीशनिंग हापा (4 × 2 × 1.5 मी0)	संख्या	05	04	05	-	14	

5. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट [www.fisheriesuk.org](http://www.fisheriesuk.org) से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र दिनांक 07.05.2018 से 14.05.2018 तक किसी भी कार्यदिवस में (प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक) मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर रोड़, देहरादून से निर्धारित मूल्य ₹590/- मात्र (जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। तथा निर्धारित तिथि 14.05.2018 के अपराह्न 01:00 बजे तक ही निविदा प्रपत्र प्राप्त कर निविदा मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर रोड़, देहरादून में डाली जा सकेगी।
6. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र पर अंकित मूल्य (₹590/-) की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट (जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो) "सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून" के पक्ष में देना होगा।
7. निविदादाता एक या समस्त सामग्रियों हेतु निविदा प्रस्तुत कर सकता है।
8. निविदादाता को समस्त प्रक्षेत्रों/हैचरियों/फीड मिल में सामग्रियों की आपूर्ति हेतु समस्त कर (जिसमें जी0एस0टी0, परिवहन आदि) सम्मिलित होंगे, के अनुसार एक ही दर प्रस्तुत की जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा निम्नानुसार निविदा दो भाग में प्रस्तुत की जायेगी -

**तकनीकी निविदा** – तकनीकी निविदा के अन्तर्गत निम्न अभिलेख संलग्न किये जायेंगे – 1) फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 2) फर्म का व्यापार कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 3) फर्म के पैन कार्ड की प्रति 4) फर्म का वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 का आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र 5) वर्ष 2017-18 में फर्म का ₹20.00 लाख से उपर का सकल बिक्री कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत हो 6) फर्म का ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाण पत्र – फर्म के लैटर हेड पर निविदादाता द्वारा किसी भी विभाग/एजेन्सी/कम्पनी से ब्लैकलिस्ट न होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र दिया जायेगा 7) डाउनलोडेड निविदा फार्म के साथ धनराशि ₹590/- का डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा क्रय निविदा फार्म के साथ क्रय की रसीद 8) धरोहर धनराशि ₹80,000=00 (₹अस्सी हजार मात्र) की एफ0डी0आर0/ड्राफ्ट 9) निविदा प्रपत्र में क्रमांक 13 से 25 तक इंगित सामग्रियों के नमूने/सैम्पल (जिन फर्मों द्वारा इन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है) 10) फर्म का ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर 11) सहमति पत्र-निविदा फार्म के समस्त पृष्ठों (प्रपत्र क को छोड़कर) में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों को हस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त क्रमांक 01 से 11 तक के अभिलेखों को एकसाथ एक लिफाफे में रख प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे के बाहर "तकनीकी निविदा" एवं "फर्म का नाम" इंगित किया जायेगा।

**वित्तीय निविदा** – निविदादाता द्वारा प्रपत्र क एवं पप्रत्र ख में सामग्रियों के सापेक्ष दरें इंगित कर अपनी निविदा प्रस्तुत की जानी होगी, जो वित्तीय निविदा कहलायेगी, को एक लिफाफे में रख प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे के बाहर "वित्तीय निविदा" एवं "फर्म का नाम" इंगित किया जायेगा। वित्तीय निविदा के लिफाफे के अन्दर कोई भी अन्य अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर वित्तीय निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. तकनीकी निविदा लिफाफा एवं वित्तीय निविदा लिफाफा को एकसाथ एक बड़े लिफाफे में रख प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे पर "मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियों पर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा" एवं "फर्म का नाम" इंगित कर निविदा प्रस्तुत की जायेगी।
11. धरोहर धनराशि, डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 " सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून" के नामें जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो, ही मान्य होंगे। अन्य बैंकों द्वारा निर्गत धरोहर धनराशि, डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं ऐसी स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. मुहरबन्द निविदा प्रत्येक स्थिति में दिनांक 14.05.2018 तक (अपराह्न 1:00 बजे तक) सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्यालय "मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी),

- रायपुर, देहरादून" में डाला जा सकेगा। बिना निविदा रसीद/ड्राफ्ट/धरोहर धनराशि/सैम्पल के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. मुहरबन्द निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निर्धारित तिथि व समय से पूर्व टैण्डर बाक्स में डालना आवश्यकीय है। नियत तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कोरियर द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली निविदा मान्य नहीं होगी। डाक विभाग द्वारा विलम्ब से उपलब्ध कराये गये निविदा पत्रों हेतु अभिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  14. निविदा दिनांक 14.05.2018 को अपराह्न 02:30 बजे क्रय समिति द्वारा मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की स्वीकृति का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को होगा।
  15. निविदा अन्तर्गत सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोला जायेगा, जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा सही पाये जायेगी, मात्र उन निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदाओं को खोला जायेगा।
  16. वित्तीय निविदा अन्तर्गत न्यूनतम दर एवं सैम्पल की गुणवत्ता के अनुरूप सम्बन्धित निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जायेगी। एक फर्म से समस्त सामग्री या आंशिक सामग्री क्रय की जा सकती है।
  17. सफल निविदादाता को आदेश निर्गत होने के दो सप्ताह के अन्दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अपने मूल्य से खरीदे हुए निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पूर्ण किया जाना होगा।
  18. अनुबन्ध पत्र पूर्ण न किये जाने की स्थिति में निविदादाता द्वारा निविदा के समय जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
  19. अनुबन्ध करते समय सफल निविदादाता को आपूर्तित की जाने वाली कुल सामग्री के मूल्य की धनराशि की 05 प्रतिशत धनराशि के समकक्ष जमानत धनराशि जमा करनी होगी, जो सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो, जमा की जायेगी।
  20. आपूर्तिकर्ता को विभिन्न जनपदों में स्थापित मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियों/फीड मिल में एक ही दर पर सामग्री की आपूर्ति की जानी होगी जिसमें भाड़ा एवं समस्त प्रकार के कर आदि सम्मिलित होंगे। निविदादाता को पृथक से कोई भाड़ा अथवा अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी। अतः वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली निविदा धनराशि को भली भाँति अध्ययन कर के प्रस्तुत किया जाय।
  21. आपूर्ति के समय निविदादाता को जाँच योग्य सामग्रियों की आपूर्ति के समय स्थल पर आपूर्तित की जा रही सामग्री के दो सील्ड नमूने/सैम्पल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने होंगे, जो हैचरी/प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा आपूर्ति के अगले दिवस तक जाँच हेतु प्रयोगशाला में प्रेषित किया जायेगा। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपूर्तित सामग्री के मानक यदि निर्धारित विचलन मानक की सीमा के अन्तर्गत पाये जाते हैं तो सम्बन्धित सामग्री का स्वीकृत दर के अनुरूप पूर्ण भुगतान किया जायेगा।
  22. परन्तु आपूर्तित सामग्री के मानकों में निर्धारित विचलन मानक की सीमा से बाहर पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित फर्म का भुगतान मानक में उत्पन्न अन्तर के अनुरूप कटौती करते हुए ही किया जायेगा। यदि आपूर्तित सामग्री के मानकों में, निर्धारित विचलन मानक से बहुत अधिक अन्तर पाया गया तो आपूर्तित सामग्री को अस्वीकृत करते हुए वापस करने का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के पास उपलब्ध होगा। निर्धारित विचलन मानक संलग्नक 01 पर इंगित है।
  23. कटौती – सामग्रियों के मानकों में अन्तर उत्पन्न होने एवं अभिकरण द्वारा ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किये जाने की स्थिति में सामग्रियों का भुगतान निम्न सूत्र के आधार पर किया जायेगा –  

$$\text{भुगतान} = \frac{\text{आपूर्तित सामग्री की मात्रा} \times \text{आपूर्तित सामग्री के मानक में अन्तर} \times \text{स्वीकृत दर}}{100}$$

24. फर्म को आपूर्ति आदेश अथवा अन्य कोई भी पत्राचार रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ-साथ ई-मेल के माध्यम से किया जायेगा। कार्यालय से पत्र निर्गत होने की तिथि के ही दिवस अथवा अगले दिवस में

- फर्म को अनिवार्य रूप से ई-मेल कर दिया जायेगा। अतः पत्र निर्गत की तिथि को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जाने वाली तिथि ही माना जायेगा। जिन फर्मों के पास ई-मेल उपलब्ध न हो, ऐसी फर्म Watsapp मोबाईल नम्बर कार्यालय में उपलब्ध करायेगी।
25. किसी भी समय न्यूनतम दर वाली फर्म/सफल निविदादाता की सामग्रियों के मानक निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण/अध्यक्ष क्रय समिति द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म से सामग्रियों की आपूर्ति करायी जा सकती है।
  26. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त आर्बिटेटर का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
  27. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।
  28. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित तालिका में अंकित मात्रा के सापेक्ष आपूर्तित की जाने वाली सामग्रियों की मात्रा अधिक या कम हो सकती है। उक्त मत्स्य प्रक्षेत्रों के अतिरिक्त **संलग्नक 02** पर इंगित प्रक्षेत्र/हैचरी में से किसी भी स्थल पर सामग्रियों की आवश्यकता होने पर आपूर्तिकर्ता स्वीकृत दरों के आधार पर सम्बन्धित प्रक्षेत्रों/हैचरियों में सामग्रियों की आपूर्ति करने हेतु भी बाध्य होगा।
  29. **भुगतान** – आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय ही बीजक भुगतान हेतु सम्बन्धित प्रक्षेत्र/हैचरी प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा। तौल्य योग्य सामग्रियों की आपूर्ति के समय तौल रसीद बीजक के साथ उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी। प्रक्षेत्र/हैचरी, प्रभारी द्वारा बीजकों का सत्यापन किये जाने उपरान्त सचिव, अभिकरण कार्यालय में बीजक भुगतान हेतु अग्रसारित किये जायेगे। बीजक में जी0एस0टी0 (यदि हो तो) का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा साथ ही सामग्री के HSN कोड भी अंकित किये जायेगें।
  30. अनुबंध/आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्तिकर्ता को निर्धारित मात्रा व समयावधि में सामग्री की आपूर्ति न होने की स्थिति में सामग्रियाँ अन्य स्रोतों से क्रय कर ली जायेगी। इसमें अभिकरण को यदि कोई वित्तीय क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधकर्ता से की जायेगी।
  31. आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात आपूर्ति आदेश से 15 दिवसों के अन्दर आपूर्ति न करने की दशा में, आपूर्तित सामग्री के मूल्य पर 02 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से बीजक से कटौती की जायेगी।
  32. आपूर्तिकर्ता निविदा में दी गयी दरों की स्वीकृत तिथि से आगामी एक वर्ष तक उन्हीं दरों पर आपूर्ति किये जाने हेतु बाध्य होगा। एक वर्ष के उपरान्त आपूर्तिकर्ता यदि अगले 06 माह हेतु उसी दर पर आपूर्ति करने का इच्छुक हो तो आपूर्तिकर्ता सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से विचार विमर्श करते हुए सामग्री की आपूर्ति कर सकता है।
  33. अस्वीकृत सामग्रियों को फर्म द्वारा अपने व्यय-भार से वापस लिया जायेगा।
  34. किसी भी सामग्री की निविदा दर के सम्बन्ध में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को निगोशियेशन (Negotiation) का अधिकार होगा।
  35. किसी या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
  36. **जमानत धनराशि** – आपूर्तिकर्ता द्वारा सफल आपूर्ति एवं सम्बन्धित बीजकों का पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त वापस की जायेगी। अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित फर्म का अनुबन्ध निरस्त कर जमानत धनराशि ब्याज की धनराशि सहित जब्त की जा सकती है।

मैंने/हमने उपरोक्त लिखित समस्त शर्तों को भली भाँति पढ़ लिया है तथा मुझे/हमें उक्त सभी शर्तें पूर्णतः मान्य हैं।

## निविदा प्रपत्र

प्रपत्र मूल्य ₹500 + जी0एस0टी0@₹90 = ₹590

## उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड़, देहरादून

मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियों में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), देहरादून।

महोदय,

मैंने/हमने निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति हेतु टैण्डर फार्म एवं संलग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली भाँति समझ लिया है। मुझे/मैंने/हमें सभी शर्तें स्वीकार है। निविदा की स्वीकृति की सूचना मिलने के दो सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुए भारतीय स्टैम्प अधिनियम में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध विलेख पूर्ण करने को तैयार हूँ/है और निविदा में नीचे दी गयी सामग्री की निर्धारित धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करा रहा हूँ/रहे है। अनुबन्ध विलेख न भरने व जमानत की धनराशि जमा न करने पर अभिकरण को धरोहर धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा की स्वीकृति मिलने पर मैं/हम समस्त सामग्री की आपूर्ति, क्रय/आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद टैण्डर फार्म में निर्धारित अवधि में अंकित दरों पर देने को बाध्य होगा/होंगे। आपूर्ति निर्धारित समयानुसार एवं मानकानुसार न करने पर अभिकरण को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा। सभी सामग्रियों की आपूर्ति मेरे/हमारे द्वारा निर्धारित मानक के सापेक्ष अंकित विवरणानुरूप की जायेगी।

क्र० सं०	समग्री विवरण	मानक	मात्रा	धरोहर धनराशि (₹)	दर (₹ प्रति कु०/ली०/नग/मी०)	मात्रा के सापेक्ष कुल धनराशि (समस्त करों सहित)
1.	राईस पालिस क- क्रूड प्रोटीन ख- क्रूड फाईबर ग- वसा (फैट) घ- आद्रता च- अम्ल अघुलनशील	11% (न्यूनतम) 4% (अधिकतम) 15% (न्यूनतम) 10% (अधिकतम) 1.50% (अधिकतम)	235 कुन्तल	₹80,000 (₹अस्सी हजार मात्र)		
2.	सरसों की खली क- क्रूड प्रोटीन ख- क्रूड फाईबर ग- वसा (फैट) घ- आद्रता च- अम्ल अघुलनशील	35% न्यूनतम 9% अधिकतम 8% न्यूनतम 10% अधिकतम 1.5% अधिकतम	605 कुन्तल			
3.	फिश मिल क- प्रोटीन ख- वसा ग- भस्म घ- नाइट्रोजन च- आद्रता	55% न्यूनतम 12% न्यूनतम 21% न्यूनतम 8% न्यूनतम 10% अधिकतम	100 कुन्तल			
4.	सोयाबीन की खल क- क्रूड प्रोटीन ख- वसा (फैट) ग-आद्रता	39% न्यूनतम 7% अधिकतम 10% न्यूनतम	100 कुन्तल			
5.	मक्के का टुकड़ा क- क्रूड प्रोटीन ख- वसा (फैट) ग-आद्रता	आई.एस. 1986 12% न्यूनतम 6% न्यूनतम 10% अधिकतम	100 कुन्तल			
6.	महुआ खली	तेल रहित (फ्लेक्स)	280 कुन्तल			
7.	कली चूना	ताजा ढेलेवाला	75 कुन्तल			
8.	Fish Stimulating हारमोन	एस०जी०ए०आर०एच० प्रिजरवेटिव (1 वायल = 10 एम०एल०)	440			
9.	क्लीनर	—	29			
10.	नुवान	—	25			
11.	एग्रामीन	(मिनरल मिक्सड - मत्स्य आहार हेतु)	4.05			
12.	सुतली	—	1.40			

क्रमश.....

क्र० सं०	सामग्री विवरण	मानक	मात्रा	धरोहर धनराशि (₹)	दर (₹ प्रति कु०/ली०/नग/मी०)	मात्रा के सापेक्ष कुल धनराशि (समस्त करों सहित)
13.	फिल्टर क्लाथ (60 मैस) नायलान	—	300			
14.	नाईलान क्लाथ (120 मैस) नायलान	—	120			
15.	पालीथीन बैग	हाई मालीक्यूलर हाई डेन्सिटी की वरर्जिन ग्रेन्यूल, निम्न मानकों के अनुसार (क) थिकनेस — 40 माइक्रान (ख) साइज — 45×80 से०मी० (ग) 100×10= 1000 नग (पेपर कार्टून में पैकिंग के साथ)	75000			
16.	चट्टी जाल (60×6 मीटर)	—	02			
17.	चट्टी जाल (30×6 मीटर)	—	01			
18.	चट्टी जाल (40×6 मीटर)	—	02			
19.	चट्टी जाल (100×6 मीटर)	—	01			
20.	ब्रूडर जाल (35×6 मी०)	—	01			
21.	ब्रूडर जाल (50×5 मी०)	—	01			
22.	फ़ाई/फिंगरलिंग नेट(50×5 मी०)	—	01			
23.	फिंगरलिंग नेट (4×2×1.5 मी०)	—	04			
24.	हैण्डनेट	—	04			
25.	कन्डीशनिंग हापा (4×2×1.5 मी०)	—	14			

- सामग्री की आपूर्ति प्रक्षेत्र/हैचरी पर आपूर्ति आदेश में समयावधि के अनुसार की जायेगी।
- धरोहर धनराशि का विवरण एफ०डी०आर०/बैंक ड्राफ्ट संख्या — ..... धनराशि ₹80,000/—
- (क) निविदादाता का नाम —  
(ख) निविदादाता का पता —  
(ग) व्यापार कर रजिस्ट्रेशन संख्या —  
(प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)

निविदादाता के हस्ताक्षर व तिथि



मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियों में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र (पार्ट 2)

क्र० सं०	सामग्री का नाम	इकाई	प्रति इकाई लागत			
			बेसिक धनराशि	जी०एस०टी० (CGST एवं SGST सहित)	अन्य चार्जज अथवा कर (यदि कोई हो तो)	कुल धनराशि
1.	राईस पालिस	कुन्तल				
2.	सरसों की खल	कुन्तल				
3.	फिश मिल	कुन्तल				
4.	सोया की खल	कुन्तल				
5.	मक्के का टुकड़ा	कुन्तल				
6.	महुवा की खल	कुन्तल				
7.	चूना	कुन्तल				
8.	Fish Stimulating हारमोन	शीशी				
9.	क्लीनर	लीटर				
10.	नुवान	लीटर				
11.	एग्रामीन	कुन्तल				
12.	सुतली	कुन्तल				
13.	फिल्टर क्लाथ (60 मैस साईज)	मीटर				
14.	नाइलान क्लाथ (120 मैस साईज)	मीटर				
15.	पालीथीन बैग	संख्या				
16.	चट्टी जाल (60 × 6 मी०)	संख्या				
17.	चट्टी जाल (30 × 6 मी०)	संख्या				
18.	चट्टी जाल (40 × 6 मी०)	संख्या				
19.	चट्टी जाल (100 × 6 मी०)	संख्या				
20.	ब्रूडर जाल (35 × 6 मी०)	संख्या				
21.	ब्रूडर जाल (50 × 5 मी०)	संख्या				
22.	फ्राई/फिंगरलिंग नेट (50× 5 मी०)	संख्या				
23.	फिंगरलिंग नेट (4×2×1.5 मी०)	संख्या				
24.	हैण्डनेट	संख्या				
25.	कन्डीशनिंग हापा (4×2×1.5 मी०)	संख्या				

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर (मोहर सहित) :  
निविदादाता का नाम व पता :

सामग्रियों की आपूर्ति हेतु जाँच योग्य सामग्रियों के विचलन मानक

क्र० सं०	जनपद	इकाई	निर्धारित विचलन मानक (उक्त सीमा तक पूर्ण भुगतान किया जायेगा)
1.	राईस पालिस क- क्रूड प्रोटीन ख- क्रूड फाईबर ग- वसा (फैट) घ- आद्रता च- अम्ल अघुलनशील	न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम	10-12% 3-5% 14-16% 10% 1-2%
2.	सरसों की खली क- क्रूड प्रोटीन ख- क्रूड फाईबर ग- वसा (फैट) घ- आर्द्रता च- अम्ल अघुलनशील	न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अधिकतम	34-36% 8-10% 7-9% 10% 1-2%
3.	फिश मिल क- प्रोटीन ख- वसा ग- भस्म घ- नाइट्रोजन	न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम	55% 12% 21% 8%
4.	सोयाबीन की खल क- क्रूड प्रोटीन ख- वसा (फैट) ग- आर्द्रता	न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम	38-40% 6-8% 10%
5.	मक्के का टुकड़ा क- क्रूड प्रोटीन ख- वसा (फैट) ग- आर्द्रता	न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम	11-13% 5-7% 9-11%

सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियों का विवरण जहाँ पर आपूर्ति की जानी प्रस्तावित होगी।

क्र० सं०	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम/पता
1	उधमसिंहनगर	मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी, धौरा। विकासखण्ड रूद्रपुर, जनपद उधमसिंह नगर।
		मत्स्य प्रक्षेत्र, बौर। विकासखण्ड गदरपुर, जनपद उधमसिंह नगर।
		मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी, काशीपुर। विकासखण्ड काशीपुर, जनपद उधमसिंह नगर।
2	उत्तरकाशी	मत्स्य प्रक्षेत्र, गंगोरी, विकासखण्ड भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी।
3	चमोली	ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी, बैरांगना। विकासखण्ड दशोली जिला चमोली।
4	नैनीताल	मत्स्य प्रक्षेत्र, भीमताल। विकासखण्ड भीमताल जनपद नैनीताल
5	देहरादून	मत्स्य प्रक्षेत्र, ढकरानी। विकासखण्ड विकासनगर जनपद देहरादून।